Shahri Adhikar Manch: Begharon Ke Saath
शहरी अधिकार मंचः बेघरों के साथ
Urban Rights Forum: With the Homeless

प्रेस विज्ञप्तिः

न्याय में देरी, न्याय से वंचित

दिल्ली के बेघर अभी भी समुचित रहन सहन की स्थिति के लिए प्रतीक्षारत

29 मई 2012, नयी दिल्लीः आज राजधानी में शहरी अधिकार मंच : बेघरों के साथ (एसएएमःबीकेएस) द्वारा आयोजित प्रेस सम्मेलन में, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं एवं बेघर नागरिकों ने दिल्ली में आवासहीनता से सम्बंधित चिंता के तमाम मुद्दे उठाये।

शहरी अधिकार मंच के सदस्य एवं इंडो–ग्लोबल सोशल सर्विस सोसायटी के तकनीकी सलाहकार, *इंदु प्रकाश सिंह* ने बेघरी की समस्या का विवरण देते हुए हाल ही में हुई कुछ सकारात्मक बातों को उजागर किया जैसे भारत की राष्ट्रपति द्वारा शहरी बेघरों हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम की घोषणा, बेघरों हेतु राष्ट्रीय सलाहकार समिति की सिफारिशों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा पारित कुछ प्रगतिशील आदेशों से इंदु प्रकाश ने इस बात पर भी चिंता जताई की इन सभी बातों के बावजूद शहर के करीब 1,50,000 बेघर लोगों की जरूरतों को पूरा करने में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड डीयूएसआईबी) की असफलता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि, ''आश्रय स्थलों में रहन सहन की स्थिति में सुधार करने की घोषणा के बावजूद, आज तक उपयुक्त कार्रवाई नहीं की गई है। इस देरी की वजह से उन बेघरों के मानवाधिकार का जबरदस्त उल्लंघन हो रहा है जिन्हें हम शहर निर्माता कहते हैं, क्योंकि शहर उनके श्रम, पसीना एवं रियायती सेवाओं से बनता है।'' उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा मास्टर प्लान दिल्ली–2021 में संशोधन करके बेघरों के लिए प्रति 1 लाख आबादी पर एक आश्रय स्थल की संख्या को घटाकर प्रति पांच लाख आबादी पर 1 करने की अनुचित योजना के बारे में बताया। उन्होंने आगे बताया कि, ''इससे दिल्ली में स्थायी आश्रय स्थलों की जरूरत 160 से घटकर 32 रह जाएगी एवं यह माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।''

बेघर मजदूर संघर्ष समिति एवं शहरी अधिकार मंच के सदस्य *अशोक पाण्डेय* ने अस्थायी आश्रय स्थलों के रहन सहन की निहायत अपर्याप्त स्थिति का वर्णन किया। अशोक पाण्डेय ने बताया कि, टीन की चादरों से बने ये आश्रय स्थल जहां जाडे के मौसम में कोल्ड स्टोरेज बन जाते हैं वहीं अब गर्मी के मौसम की तपिश से भट्ठी बन चुके है और रहने योग्य नहीं हैं। ''किसी भी टीन या टेंट के आश्रय स्थलों में पेयजल, शौचालय या पंखे तक नहीं हैं। आखिर बिना बिजली की व्यवस्था के पंखे कैसे लगाये जा सकते हैं? गर्मी इतनी असहनीय होती है कि लोग रात को सो नहीं पाते हैं। कुदुसिया घाट में हमारा आश्रय स्थल मच्छरों से भरा पडा है। यदि आप एक मिनट भी खडे होते हैं तो मच्छरों के काटै बगैर नही रह पाएंगे। यह बेघरों के लिए, खासकर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जबरदस्त खतरा है,'' उन्होंने बताया। शहरी अधिकार मंच के अन्य सदस्य, *ईश्वर चंद* ने आगे बताया कि, ''पानी एवं शौचालय की सुविधा न होने से बेघर महिलाओं एवं बच्चों को जबरदस्त परेशानी होती है एवं उनकी सुरक्षा को खतरा बना रहता है। उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद, मोबाइल स्वास्थ्य वाहन अधिकांश आश्रय स्थलों का भ्रमण नहीं करते हैं।

शहरी अधिकार मंच एवं हक के सदस्य, *अब्दुल शकील* ने दिल्ली में बेघरों द्वारा राशन कार्ड एवं समुचित अनाज की हकदारी के लिए किए जा रहे संघर्ष के बारे में बताया, जिससे उन्हें लगातार वंचित किया जाता है। बेघरों के लिए अपनी पहचान को स्थापित करना एक अहम मुद्दा है। उन्होंने बताया कि, ''राज्य द्वारा बेघरों को मतदाता पहचान पत्र दिये जाने की विफलता से उनके राजनैतिक भागीदारी के अधिकार का उल्लंघन होता है।'' आश्रय घरों क केयर टेकरों की तंग माली हालत को उजागर करते हुए शकील ने बताया कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा अक्सर ही केयर टेकरों का वेतन देर से जारी किया जाता है जिससे इन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा चिल्ला खादर एवं बलजीत नगर में हाल ही में की गई जबरन बेदखली के बारे में बताया, ''जिससे दिल्ली में अधिक से अधिक लोग बेघर हो रहे हैं।''

राष्ट्रमंडल खेलों से पहले विकलांग बस्ती से बेदखली के कारण बेघरी में जीवन बिताती एक महिला, *जुबैदा* ने अपने परिवार द्वारा झेली जा रही समस्याओं के बारे में बताया। ''सरकार ने हमारे घरों को बगैर किसी नोटिस के गिरा दिया और हमें कोई वैकल्पिक आवास या मुआवजा भी नहीं दिया गया। अब हम किसी बसेरे, आड़ या सुरक्षा के बगैर सड़कों पर रहने को बाध्य हैं। हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति या माध्यम नहीं है जिसके पास जाकर हम न्याय मांग सकें। इस शहर को गरीबों की कोई परवाह नहीं है।''

हाउसिंग एवं लैंड राइट्स नेटवर्क की सह निदेशक एवं शहरी अधिकार मंच की सदस्य, शिवानी चौधरी, ने बताया कि, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय एवं भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, कई अंतरिम आदेशों में, बेघरों के लिए पर्याप्त और समुचित स्थायी आश्रय स्थलों का निर्माण करने का आह्वाहन किया है। उच्च न्यायालय ने दिसम्बर 2010 तक स्थायी आश्रय स्थल स्थापित करने का आह्वाहन किया था। करीब डेढ़ साल बाद भी, सरकार ने आवासहीनता के मुद्दे पर कोई दीर्घकालिक योजना विकसित नहीं की है और वह अभी भी थोड़े समय के लिए, काम चलाऊ अस्थायी आश्रय स्थलों पर फोकस कर रही है और वह भी रुपये 3 लाख प्रति आश्रय स्थल की कीमत पर। हम दिल्ली सरकार द्वारा बेघरों को शहर के बाहर कंझावला व नरेला में पुनर्स्थापित करने की प्रस्तावित योजना के द्वारा उन्हें और दरकिनार किए जाने के प्रयास से काफी चिंतित हैं। दिल्ली सरकार के इस कदम से बेघरों के आवास अधिकारों के साथ उनके काम/आजीविका के अधिकार का भी हनन होता है।

सरकार द्वारा बार बार अदालत के आदेशों के क्रियान्वयन की कानूनी बाध्यताओं को न मानना व भारत के संविधान एवं अंतरराष्ट्रीय कानून को कायम रखने हेतु प्रयास न करना काफी चिंताजनक है।'' उन्होंने आगे कहा कि, ''आश्रय का प्रावधान तो लोगों के आवास के अधिकार की कड़ी में पहला कदम है, सरकार का अंतिम लक्ष्य तो बेघर लोगों को सस्ते मूल्य पर आवास की सुविधा प्रदान करना है।

शहरी अधिकार मंच की सदस्य एवं बिजनेस एवं कम्यूनिटी फाउंडेशन की निदेशक, अमिता जोसेफ, ने इस बात को रेखांकित किया कि एक मदर एनजीओ, संयुक्त सर्वोच्च सलाहकार समिति (जेएएसी) की मौजूदगी एवं दिल्ली उच्च न्यायालय एवं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रगतिशील आदेशों के बावजूद, दिल्ली के बेघरों की स्थिति में उल्लेखनीय ढंग से सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने दिल्ली सरकार के समक्ष निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत कीं:

- अस्थायी आश्रय स्थलों में बिजली, पंखा, पेयजल, स्वास्थ्य देखभाल, शौचालय एवं मच्छर भगाने की व्यवस्था सहित उनमें तत्काल सुधार किया जाए {एसएएमःबीकेएस ने दिल्ली सरकार एवं उच्च न्यायालय को मानवाधिकार आधारित सिफारिशों सहित अल्पकालीन योजना प्रस्तुत की है, लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया है};
- सभी बेघर आश्रय स्थलों के कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए स्वतंत्र समिति स्थापित की जाए;
- सरकार द्वारा अस्थायी आश्रय स्थलों पर किये गये खर्च का एक लेखा परीक्षण कराया जाए, और डिजाइन चयन एवं ठेकेदारों की प्रक्रिया, एवं खर्चों के बारे में विवरण प्रदान किया जाए;
- भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं दिल्ली उच्च न्यायालय के उन आदेशों का पालन किया जाए जिसके तहत साल भर, चौबीसों घंटे स्थायी आश्रय स्थल (प्रति एक लाख आबादी पर एक आश्रय स्थल की जरूरत के मुताबिक 160 आश्रय स्थल) तैयार किये जाने हैं तथा इस हेतु दिल्ली में बेघरों के लिए दीर्घकालीन योजना तैयार की जाए;
- खाली व बेकार पड़े सरकारी भवनों को आश्रय घरों के रूप में इस्तेमाल में लाया जाए;
- डीडीए द्वारा प्रति 1 लाख आबादी पर एक आश्रय स्थल की संख्या को घटाकर प्रति पांच लाख आबादी पर 1 करने के मास्टर प्लान दिल्ली– 2021 में संशोधन के प्रस्ताव को वापस लिया जाए; एवं
- संयुक्त सर्वोच्च सलाहकार समिति की नियमित बैठक की जाए और उसके निर्णयों का क्रियान्वयन हो।
- जबरन बेदखली पर रोक लगायी जाए जो कि समुचित आवास के अधिकार का उल्लंघन है जिससे आवासहीनता आती है;

वक्ताओं ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ रचनात्मक रूप से काम करने की अपनी प्रतिबद्धता जतायी ताकि बेघरों के समुचित आवास के अधिकार की रक्षा की जा सके। दिल्ली के पास अवसर है कि वो बेघरों को सेवा प्रदान करके एवं उनके अधिकारों को कायम करके पूरे भारत के सामने एक मिसाल बन सके। इसलिए यह जरूरी है कि सरकार बेघरों के लिए प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाने के बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए और अपने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा कर सके।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया सम्पर्क करें:
इंदु प्रकाश सिंह (9911362925); अशोक पांडेय (9716436605);
बिपिन राय (9999046469); शिवानी चौधरी (9818 205234)

शहरी अधिकार मंच : बेघरों के साथ (एसएएमःबीकेएस) दिल्ली में स्थित एक सामूहिक मंच है जिसमें बेघर नागरिकों सहित 30 से ज्यादा संगठन एवं सामाजिक आंदोलन शामिल हैं। एसएएमःबीकेएस भारत के संविधान एवं अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार माध्यमों में दिये गये गारंटी के अनुरूप, बेघरों के अधिकारों को बढ़ावा देने एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए और अंततः समस्त बेघर लोगों के लिए समुचित आवास सुरक्षित करने के लिए काम करता है।